



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164419

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 28170 वर्ष 2025

सुरक्षित

राम मुनि गौतम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आशीष कुमार पांडे, कार्तिकेय दुबे, मन मोहन मिश्रा, श्यामधर पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, मयंक कुमार साहू, विनीत कुमार साहू

न्यायालय संख्या - 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



1. आवेदक की ओर से श्री मन मोहन मिश्रा के साथ श्री कार्तिकेय दुबे, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से श्री विनीत कुमार साहू, विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से श्री राकेश कुमार राव, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत यह आवेदन (संक्षेप में बी.एन.एस.एस.) आवेदक द्वारा आरोप-पत्र संख्या 1 सन् 2025 दिनांक 08.03.2025 तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतर्रा, जनपद बांदा द्वारा पारित दिनांक 31.05.2025 के संज्ञान-सह-समन आदेश को निरस्त करने हेतु दाखिल किया गया है, जो आपराधिक वाद संख्या 229 सन् 2025 (*राज्य बनाम राम मुनि गौतम*) में मुकदमा अपराध संख्या 288 सन् 2024 से उत्पन्न हुआ है, धारा 318(4), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना अतर्रा, जनपद बांदा से संबंधित है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के न्यायालय में लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई कि वह अभियुक्त की भूमि को ₹30 लाख के विक्रय प्रतिफल पर खरीदने के लिए सहमत हुआ था और उक्त राशि का आधा भाग प्रथम सूचनादाता की पत्नी के खाते से अभियुक्त के खाते में हस्तांतरित किया गया था। शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने के समय किया जाना था, किंतु अभियुक्त ने किसी न किसी बहाने से विक्रय विलेख निष्पादित करने से बचता रहा और बाद में यह जानकारी हुई कि कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उसने धनराशि अपने खाते में हस्तांतरित करा ली है। अब वह धनराशि वापस नहीं कर रहा है तथा प्रथम सूचनादाता को गालियां दे रहा है और धमकी दे रहा है। इस सूचना के आधार पर आवेदक के विरुद्ध धारा 318(4), 352 एवं 351(3) बी.एन.एस. तथा धारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



66D, आई.टी. अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच के उपरांत धारा 318(4), 352 एवं 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया। संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और आवेदक को समन किया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है और आवेदक ने अपनी भूमि का कोई विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए सहमति नहीं दी थी और न ही प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 से कोई धनराशि ली थी। वास्तव में, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने आवेदक के भाई सुरेंद्र कुमार गौतम, जो अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं, के मकान को खरीदने के लिए सौदा किया था और इस संबंध में कुछ लेन-देन हुआ था तथा विक्रय विलेख और प्रति-विक्रय विलेख निष्पादित किए गए थे और आवेदक के विरुद्ध कोई धनराशि देय नहीं है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पूर्व प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने स्थायी लोक अदालत, बांदा के समक्ष वाद संख्या 22 सन् 2023 दाखिल किया था, जिसमें धनराशि वापस किए जाने की मांग करते हुए पूर्णतः भिन्न आरोप लगाए गए थे। आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 22780 सन् 2024 दाखिल की है, जिसमें आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और वह आज तक लंबित है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की पत्नी ने सिविल न्यायालय के समक्ष सिविल वाद संख्या 92 सन् 2025 दाखिल किया है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता/प्रतिवादी को ₹15 लाख ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मध्य विवाद मूलतः सिविल प्रकृति का है और इसमें कोई आपराधिक तत्व नहीं है। अतः आरोप-पत्र, समन आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

6. इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महमूद अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, एआईआर 2023 एससी 3709; राजीव कुमार विशनोई और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 11763 सन् 2010, दिनांक 23.04.2026 को निर्णीत; एस.एन. विजयलक्ष्मी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3302 सन् 2025 (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8626 सन् 2024 से उत्पन्न), दिनांक 31.07.2025 को निर्णीत तथा (2013) 11 एससीसी 673, परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के निर्णयों पर भी भरोसा किया है।

7. उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि यह है कि यदि उच्च न्यायालय यह पाता है कि विवाद मूलतः सिविल प्रकृति का है और उसे आपराधिक अपराध का आवरण दिया गया है तथा सिविल उपचार उपलब्ध है और उसे अपनाया भी गया है, तो विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपराधिकता के तत्व के अभाव में, यदि सिविल और आपराधिक दोनों वादों को जारी रहने दिया जाता है, तो यह निश्चित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसे न्यायालयों ने ऐसी किसी भी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाकर सदैव रोकने का प्रयास किया है।

8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध बनाते हैं, क्योंकि आवेदक ने अपनी भूमि बेचने के बहाने प्रथम सूचनादाता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ धोखाधड़ी की और ₹15 लाख प्राप्त किए, जिन्हें बार-बार मांग किए जाने के बावजूद वापस नहीं किया। अतः इस आवेदन में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजन लाल (1992 सप्लीमेंटरी. (1) एस.सी.सी. 335))** के ऐतिहासिक मामले में धारा 482 के प्रावधानों तथा आपराधिक कार्यवाही या प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों पर विस्तार से विचार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए विधिक स्थिति का सार प्रस्तुत किया है, जिनका उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक शिकायत को निरस्त करने में पालन किया जाना चाहिए:

“1. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में लिया जाए और पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

2. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, जो संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराए, सिवाय इसके कि संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन ऐसा किया जाए।

3. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप तथा उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) में परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच अनुमत नहीं है।

5. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने असंगत एवं स्वभावतः असंभाव्य हों कि उनके आधार पर कोई विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

6. जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के किसी प्रावधान में कोई स्पष्ट विधिक प्रतिबंध अंतर्निहित हो, जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है, कार्यवाही के संस्थित किए जाने और जारी रहने पर रोक हो और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान हो, जो पीड़ित पक्षकार की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता हो।

7. जहां कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्टतः दुर्भावना से ग्रस्त हो और/या जहां अभियुक्त से प्रतिशोध लेने तथा निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से किसी गुप्त उद्देश्य से कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक संस्थित की गई हो।”

10. इस संबंध में एक अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2013) 11 एस.सी.सी. 673, परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“12. संहिता की धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को सावधान रहना होगा। इस शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के प्रयोजन हेतु विरल मामलों में ही किया जाना चाहिए। कोई शिकायत आपराधिक अपराध का खुलासा करती है या नहीं, यह उसमें आरोपित तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं, इसका निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है। सिविल लेन-देन का खुलासा करने वाली शिकायत में भी आपराधिक स्वरूप हो सकता है। किंतु उच्च न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या मूलतः सिविल प्रकृति के विवाद को आपराधिक अपराध का आवरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में, यदि सिविल उपचार उपलब्ध है और वास्तव में उसे अपनाया गया है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

13. जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, यहां विवाद मूलतः होटल व्यवसाय के लाभ और उसके स्वामित्व के संबंध में है। लंबित सिविल वाद इन सभी मुद्दों का समाधान करेगा। अपीलकर्ता द्वारा कूटरचित एवं जाली दस्तावेजों का प्रयोग किए जाने का आरोप भी उक्त वाद में निपटाया जा सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध इसी प्रकार की शिकायत दाखिल करने का प्रयास विफल हो जाने के पश्चात उसने वर्तमान शिकायत दाखिल की है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उसके विरुद्ध धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाते हुए दाखिल किए गए एक अन्य मामले में अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है। संबंधित दुकान का कब्जा भी अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को सौंप दिया गया है। ऐसी स्थिति में, हमारी राय में, लंबित आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना



विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर त्रुटि की है।”

11. उपर्युक्त विधिक स्थिति तथा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत उस अप्रतिवादित सामग्री को भी देख सकता है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि क्या प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा संस्थित आपराधिक कार्यवाही स्पष्टतः दुर्भावना से ग्रस्त है और/या अभियुक्त से प्रतिशोध लेने तथा निजी एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से किसी गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्वक संस्थित की गई है।

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों तथा अभिलेख, विधिक स्थिति और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन के उपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक को धारा 318(4), 352 एवं 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत समन किया गया है। आवेदक के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि उसने प्रथम सूचनादाता को अपनी भूमि बेचने के लिए सहमति दी और विक्रय प्रतिफल का एक भाग भी प्राप्त किया, किंतु बाद में विक्रय विलेख निष्पादित करने से इनकार कर दिया तथा यह तथ्य भी छिपाया कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल वाद लंबित है।

13. यहां, अभिलेख के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद मूलतः सिविल प्रकृति का है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पूर्व प्रथम सूचनादाता ने स्वयं स्थायी लोक अदालत के समक्ष वाद दाखिल किया था, जिसमें पूरी तरह भिन्न तथ्यों के आधार पर धनराशि वापस किए जाने की मांग की गई थी कि उक्त धनराशि अभियुक्त को उसका मकान बनाने के लिए उसकी मांग पर ऋण के रूप में दी गई थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचनादाता की पत्नी ने आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धनराशि की वसूली के लिए एक सिविल वाद दाखिल किया है, जो लंबित है। अतः अधिक से अधिक यह वचन-भंग का मामला है, जहां यह भी प्रासंगिक है कि आवेदक को ब्याज सहित धनराशि वापस करने की मांग करते हुए नोटिस जारी किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक के भाई सुरेंद्र कुमार गौतम के मकान के संबंध में कुछ करार हुआ था और इस संबंध में पक्षकारों के मध्य कुछ लेन-देन हुआ तथा विक्रय विलेख और प्रति-विक्रय विलेख निष्पादित कराए गए थे, किंतु इससे यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद सिविल प्रकृति का था, जिसमें कोई आपराधिक आशय नहीं था। धनराशि की वसूली के संबंध में सिविल वाद न्यायालय के समक्ष लंबित है, अतः उसी संबंध में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

14. अतः यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त आपराधिक कार्यवाही प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा अभियुक्त से प्रतिशोध लेने तथा निजी एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्वक और कपटपूर्ण ढंग से संस्थित की गई थी। यह प्रथम दृष्टया प्रदर्शित करता है कि इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अन्यायपूर्ण और दमनकारी होगा।

15. उपर्युक्त के दृष्टिगत, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और आरोप-पत्र संख्या 1 सन् 2025 दिनांक 08.03.2025 तथा आपराधिक वाद संख्या 229 सन् 2025 (राज्य बनाम राम मुनि गौतम) में दिनांक 31.05.2025 को पारित संज्ञान-सह-समन आदेश, जो मुकदमा अपराध संख्या 288 सन् 2024 से उत्पन्न है, धारा 318(4), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना अतर्रा, जनपद बांदा से संबंधित है, एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6 अगस्त, 2026

आदित्यजी

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!